<u>न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 01, आजमगढ़।</u>

सत्र परीक्षण संख्याः 336/2023

सरकार.....बनाम..... **कल्पू आदि**

मु०अ०सं० 127/2004
धारा 147, 148, 149, 302, 394,
भा०दं०सं० व 7 सी.एल.ए. ऐक्ट
<u>थानाः **देवगांव**, आजमगढ़।</u>

<u>दिनांक –02.07.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। आवेदक/अभियुक्तगण **कल्पू, रामजन्म व रामसरन** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोप के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा **147, 148, 302/149, 394/149** भा०दं०सं० व धारा **7 सी.एल.ए. ऐक्ट** का आरोप बनता है।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया एवं विचारण की याचना की। पत्रावली दिनाँक 14.07.2025 को साक्ष्य हेतु पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हों।

(अजय कुमार शाही)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1,
आजमगढ़।

Digitally signed by Ajay Kumar Shahi
Date: 2025.07.02 13:02:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 01, आजमगढ़।</u>

सत्र परीक्षण संख्याः 336/2023

सरकार.....बनाम..... **कल्पू आदि**

मु०अ०सं० 127/2004
धारा 147, 148, 149, 302, 394,
भा०दं०सं० व 7 सी.एल.ए. ऐक्ट
<u>थानाः **देवगांव**, आजमगढ़।</u>

<u>आरोप</u>

मैं, **अजय कुमार शाही**, **अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01, आजमगढ़** आप अभियुक्तगण **कल्पू, रामजन्म व रामसरन** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथम– यह कि दिनांक–30.05.2004, समय 15.00 बजे, वहद स्थान अहिरौली, थाना खिजिरपुर, जनपद आजमगढ़ में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा श्यामलाल राजभर के चाचा रामबचन व देवलास यादव के साथ एक राय होकर बल्वा कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा– 147 भा०दं०सं०,** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण, घातक आयुधों से सुसज्जित होकर वादी मुकदमा के चाचा उपरोक्त आदि के साथ बल्वा कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा– 148 भा०दं०सं०,** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने समान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए पुरानी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा के चाचा रामबचन व देवलास यादव को गोली मारकर उनकी हत्या कर दिये। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा– 302/149 भा०दं०सं०,** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने समान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए लूट/डकैती के दौरान वादी मुकदमा के चाचा रामबचन व देवलास यादव को गोली मारकर उनकी हत्या कर दिये। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा– 394/149 भा०दं०सं०,** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचम– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के चाचा रामबचन व देवलास यादव को गोली मारकर उनकी हत्या कर दिये जिससे मौके पर भय व दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा– 7 सी.एल.ए. ऐक्ट,** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि आपका परीक्षण उपरोक्त धाराओं में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

<u>दिनांक 02.07.2025</u>

(अजय कुमार शाही)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1,
आजमगढ़।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया व उनसे पूछा गया कि वह जुर्म स्वीकार करना चाहते हैं या विचारण चाहते हैं? अभियुक्तगण ने आरोप से इनकार किया व परीक्षण की याचना किया।

<u>दिनांक 02.07.2025</u>

(अजय कुमार शाही)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1,
आजमगढ़।